

मु० न०:- १४/2024

तारीखरजू:- 7/8/24

उनवान:- चैनसिंह बनाम चन्द्रशेखर वगै०
दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा 188

दिनांक	फर्द अहकाम
7/8/24	<p>वादी की और से श्री कुबल्ली राम एडवोकेट ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 30.08.2024 को पेश हो।</p> <p>(सुनीता मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी</p>
30/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न० 2 की और से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एड० ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। एवं प्रतिवादी न० 1, 3 ने उपस्थित होकर आडेरिफा पर हस्ताक्षर किये। वास्ते जबाब पेश करने दिनांक 11.9.24 को पेश हो।</p>
11/9/24	<p>वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीएचडी अधिकारी..... 16.10.24 पत्रावली अनुसार दिनांक..... 16.10.24 ने पेश हो।</p>

4650-52
7/8/24

सुनीता मीना
प-3/8/24



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला - करा

दिनांक	फर्द अहकाम	
17 ³ / ₂₅	<p>वादी वकील / वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठाधीन अधिकारी (जन्मदुर्घटना) के पक्षों में पत्रावली गतानुसार दिनांक 9-4-25 को पेश हो।</p>	
9 ⁴ / ₂₅	<p>वादी वकील / वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठाधीन अधिकारी (जन्मदुर्घटना) के पक्षों में पत्रावली गतानुसार दिनांक 7-5-25 को पेश हो।</p>	
7 ⁵ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगित रखा गया है। गतानुसार दिनांक 3-6-25 को पेश हो।</p>	
3 ⁶ / ₂₆	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पक्ष उपस्थित उपस्थित। वादी उमय पक्ष दिनांक 2/7/25 को पेश हो।</p>	
2 ⁷ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी उमय वादी वकील को उपस्थित नहीं हुआ बाल & भावांज डिल्लीवादी / इसके वाक्य में को उपस्थित नहीं हुआ इसके वादी का डाया वावल रखाई विशेषज्ञ वादी उमय वादी वकील की वकालत के वकालत के अर्थ में किया जाता है। पत्रावली के अर्थ में वादी के वकालत डाया रखा है।</p>	